

हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज
मुनेश भाकर बनाम ओमप्रकाश
मूल फौजदारी परिवाद संख्या- 283/20

नम्बर व तारीख
अदालत जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

दिनांक: 20.01.2026

परिवादी मुनेश भाकर अनुपस्थित। अधिवक्ता परिवादी सुनील
मिश्रा उपस्थित।

अभियुक्त ओमप्रकाश का जारी गिरफ्तारी वारंट पुलिस थाना
डीडवाना से प्राप्त नहीं हुआ। अभियुक्त को पुनः गिरफ्तारी वारंट से तलब
किया जावे। गिरफ्तारी वारंट पर ये नोट अंकित किया जावे की प्रकरण
लक्षित प्रकरणों में से एक है। इसलिये गिरफ्तारी वारंट की तामील में किसी
भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जावे। गिरफ्तारी वारंट पर ये नोट भी
अंकित किया जावे की अभियुक्त ओमप्रकाश राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक
विद्यालय, बोराडा, अजमेर में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। ऐसे में
गिरफ्तारी वारंट को निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी को ये निर्देश दिये
जाते हैं कि अभियुक्त ओमप्रकाश के उसके घर पर ना मिलने की स्थिति में
अभियुक्त को उसके पदस्थापन विद्यालय से गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश
किया जावे।

पत्रावली हाजरी मुलजिम हेतु दिनांक...२६.१.२६...को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट २३/१/२६
डीडवाना (डीडवाना-कुचामन)